1

[2023] 3 एस. सी. आर 1

ए.

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. v.

राजीव और ए. एन. आर.

(सिविल अपील 2023 की आई. डी. 1) 24 फरवरी, 2023

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 -धारा 4-राज्य द्वारा वर्ष 1996 में सड़क निर्माण के लिए विचाराधीन भूमि का उपयोग किया गया था, हालांकि, किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था और भूमि का उपयोग 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण किए बिना किया गया था-2016 में प्रतिवादियों-भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित, अपीलार्थीगण को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया-खंड पीठ ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर एल. पी. ए. को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया-अभिनिर्धारितःजब रिट याचिका और भूमि के लिए मुआवजे का दावा करने के भूमि मालिकों के दावे का राज्य द्वारा केवल देरी और गड्ढों के आधार पर विरोध किया गया है, तो सड़क के निर्माण के लिए राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के मालिक अपनी भूमि के लिए मुआवजे के हकदार होंगे, कुछ शर्तों पर, जिसका उपयोग राज्य द्वारा अधिग्रहण के बिना किया गया था-17.05.1996 (भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख, हालांकि शुरू में, समाप्त होने की अनुमति दी गई थी) को अधिग्रहण की मानित तिथि के रूप में माना जाएगा।4 – सड़क के निर्माण के लिए राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए भूमि मालिक मुआवजे के हकदार हैं-हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका दायर करने में 20 साल की भारी देरी हुई थी, भूमि मालिक 1894 के अधिनियम के तहत 17.05.1996 से रिट याचिका दायर करने की तारीख तक किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं, लेकिन वे उन सभी वैधानिक लाभों के हकदार हैं जो 17.05.1996-भारत का संविधान-कला से 1894 के अधिनियम के तहत उपलब्ध हो सकते हैं।136,142.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सुख दत्त रात्रा और अन्र। बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

जी.

& ओआरएस। (2022) 7 एससीसी 505:2022 (4) जे. टी. 31-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2022) (4) जे**.** टी**. 31**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.4** ए

एच.

1

2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील No.1278।

2019 के सीएमपीएम No.1375 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.10.2020 के निर्णय और आदेश से।

अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाव थंगल, समीर अली खान, सुश्री हटनीमावी, शिवम पराशर, निखिल जगोत्रा, सुश्री ऋचा भारती, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

बी.

सुश्री राधिका गौतम, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के एल. पी. ए. No.50 में 2019 के सी. एम. पी. (एम) No.1375 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.771 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ एल.

पी. ए. को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

2. यद्यपि वर्तमान अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एल. पी. ए. को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने से इनकार करने वाले विवादित आदेश के खिलाफ है, लेकिन योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने और माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए मामले को खंड पीठ को भेजने के बजाय, हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ योग्यता के आधार पर संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

ई.

एफ.

2.1 कि यहाँ प्रत्यर्थीगण रिट याचिकाकर्ताओं ने 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 होने के नाते उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना कीः

“(i) कि प्रत्यर्थीगणओं को निर्देश दिया जा सकता है कि वे तहसील और जिला शिमला के गांव बानुती से गांव लोहारब तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में पूरा रिकॉर्ड पेश करें, साथ ही लोहारब से लेकर मौज पहल तहसील सुन्नी तक के शेष हिस्से का पूरा रिकॉर्ड जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए शुरू की गई प्रक्रिया और कार्यवाही को दिखाया जाए।

जी.

एच.

3

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. v.राजीव और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

ए.

((ii) कि प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जा सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना याचिकाकर्ताओं को उनकी संपत्ति से वंचित न करे और उन्हें कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए और प्रावधान कानून के अनुसार मुआवजे की राशि का भुगतान करना चाहिए।

((ग) यदि प्रत्यर्थीगण अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं हैं और उस स्थिति में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें याचिकाकर्ता को भूमि का भौतिक कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जा सकता है और साथ ही

उन्हें 1996 से आज तक की अवधि से उपयोग और व्यवसाय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

बी.

((iv) याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत न्यायसंगत और उचित मानी जाने वाली कोई भी अन्य उपयुक्त राहत याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।"

सी.

2.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि विचाराधीन भूमि का उपयोग राज्य द्वारा वर्ष 1996 में बानुती से पहल रोड के निर्माण के लिए किया गया था, हालांकि, आज तक, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क देते हुए जवाब दाखिल किया कि उस समय जब रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के माध्यम से सड़क का निर्माण किया गया था, यह उनके अनुरोध पर और इस शर्त पर था कि वे किसी भी मुआवजे का दावा नहीं करेंगे।यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि उस समय इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था।जवाब में यह प्रस्तुत किया गया था कि इस कारण से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही के बिना सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया कि सड़क का निर्माण रिट याचिकाकर्ताओं सहित क्षेत्र की जनता की मांग पर किया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका में कोई सच्चाई होती, तो रिट याचिकाकर्ताओं ने 20 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान आपत्ति उठाई होती।

डी.

ई.

एफ.

2.3 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग सड़क के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम, 1894' के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण किए बिना भूमि का उपयोग किया गया है), विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को मंजूरी दी और अपीलार्थीगण को कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

जी.

एच.

2.4 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने एल. पी. ए. को प्राथमिकता देने में 354 दिनों की देरी की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी। विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है और परिणामस्वरूप सीमा के आधार पर एल. पी. ए. को खारिज कर दिया है।इसलिए, वर्तमान अपील।

बी.

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्यु झांबा ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक रिट याचिका में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने में भौतिक रूप से गलती की है, जो भूमि के उपयोग की तारीख से 21 साल की अवधि के बाद दायर की गई थी, जिसका उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया गया था।

सी.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष राज्य की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि भूमि का उपयोग मूल रिट याचिकाकर्ताओं की सहमति से किया गया था और यह रिट याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर और इस शर्त के साथ किया गया था कि वे इसके लिए मुआवजे का दावा नहीं करेंगे।

डी.

3.2 इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पर मुख्य रूप से देरी और अड़चनों के आधार पर हमला किया गया है।4. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक समय पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे का दावा किए बिना सड़क के निर्माण के लिए अपनी भूमि के उपयोग के लिए सहमति व्यक्त की हो।4.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह शुरू में अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना 17.05.1996 पर गाँव टिकरी में भूमि के अधिग्रहण के लिए जारी की गई थी, हालांकि अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

ई.

एफ.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद न तो नए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई और न ही सड़क निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया गया है।

जी.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विलंब और बाधाओं के आधार पर राज्य उन लोगों के प्रति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है जिनसे निजी संपत्ति जब्त की गई है।रिलायंस को हाल ही में ए पर रखा गया है

एच.

5

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. v.राजीव और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

सुख दत्त रात्रा और अन्र के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य**, (2022) 7** एस**.** सी**.** सी**. 505**।

4.5 उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने स्वेच्छा से अपनी भूमि देने के लिए लिखित सहमति के अभाव में उक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया है, भूमि मालिक कानून के संदर्भ में मुआवजे के हकदार हैं।

बी.

5. संबंधित पक्षों की ओर से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और जब रिट याचिका और सड़क के निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि के मुआवजे का दावा करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का राज्य द्वारा केवल देरी और दरारों के आधार पर विरोध किया गया है, तो हमारी राय है कि कुछ शर्तों पर जिन पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं के नीचे विचार किया जाएगा-सड़क के निर्माण के लिए राज्य द्वारा उपयोग की गई भूमि के मालिक अपनी भूमि के मुआवजे के हकदार होंगे जिनका उपयोग राज्य द्वारा अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण किए बिना किया गया है।

सी.

डी.

5.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में शुरू में धारा 4 के तहत अधिसूचना 17.05.1996 पर गाँव टिकरी में भूमि अधिग्रहण के लिए जारी की गई

थी।हालाँकि इसके बाद अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना को समाप्त होने की अनुमति दी गई।इसलिए, 17.05.1996 को उस दिन एक मानित अधिग्रहण के रूप में माना जा सकता है और मूल भूमि मालिकों को 17.05.1996 पर बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे से सम्मानित किया जा सकता है, हालांकि 17.05.1996 से ब्याज को छोड़कर अन्य सभी वैधानिक लाभों के साथ जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर नहीं की गई थी।यदि उपरोक्त आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया जाता है, तो इसे न्यायपूर्ण और उचित कहा जा सकता है और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय किया जा सकता है।6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान अपील का निपटारा यह निर्देश देकर किया जाता है कि अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिग्रहण की मानित तिथि के रूप में माना जाए और मूल मालिक/रिट याचिकाकर्ता राज्य द्वारा सड़क के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे के हकदार होंगे।हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने में 20 साल की भारी देरी हुई थी, हम निर्देश देते हैं कि हालांकि मूल रिट याचिकाकर्ता सभी वैधानिक लाभों के हकदार होंगे जो अधिनियम, 1894 के तहत 17.05.1996 से उपलब्ध हो सकते हैं, हालांकि वे किसी भी कानूनी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

अधिनियम, 1894 के तहत ब्याज 17.05.1996 से रिट याचिका दायर करने की तारीख तक।

अब राज्य/उपयुक्त प्राधिकारी मूल रिट याचिकाकर्ताओं को 17.05.1996 पर बाजार मूल्य पर साक्ष्य देने का अवसर देने के बाद उपरोक्त मुआवजे की राशि की गणना करेगा और उसके बाद मुआवजे की राशि की वास्तविक गणना की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त मुआवजे का भुगतान करेगा।हालांकि, पूरी कवायद आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

बी.

उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अपील की अनुमति है/उसका निपटारा किया जाता है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.